राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक प. 6(12)शिक्षा/ग्रुप–3/2019 जयपुर, दिनांक: 17 SEP 2020

–: आदेश :–

राजकीय महाविद्यालय, बासकृपालनगर (किशनगढ़ बास– अलवर) को समाप्त कर इसके स्थान पर राजकीय महाविद्यालय, खैरथल जिला अलवर खोले जाने के क्रम में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में टिप्पणी निम्नानुसार हैः–

1. बासकृपालनगर में संचालित महाविद्यालय को बन्द करने एवं इसके स्थान पर खैरथल में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। पद एवं संसाधनों का भी हस्तान्तरण किया जाना सुनिश्चित करें।

2. सवेंतन एवं अन्य व्ययों (आवर्ती एवं अनावर्ती) का समायोजन संबंधित बजट शीर्ष में उपलब्ध बजट प्रावधान से किया जायेगा। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर आयुक्तालय संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2020–21 में प्रस्ताव वित्त विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

3. नवीन महाविद्यालय हेतु भूमि आवंटन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त भवन निर्माण का नक्शा एवं तकमीना तैयार करवाकर इस हेतु आवश्यक राशि के प्रस्ताव आयुक्तालय संशोधित अनुमान वर्ष 2020–21 के समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी. संख्या 132000169 दिनांक 11.09.2020 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. मोहम्मद नईम)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
8. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग।
9. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :एफ20(101/11)/आयो/आकाशि/2020–21/ 406 दिनांकः 23 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महालेखाकार लेखा एवं हक राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव,उच्च एव तकनीकी शिक्षा विभाग,राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1)विभाग,राजस्थान जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)विभाग,राजस्थान जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव आयोजना (जनशक्ति)विभाग,राजस्थान जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–3)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग,राजस्थान जयपुर।
11. कुल सचिव, राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर ।
12. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
13. संयुक्त निदेशक, (एच आर डी / प्रशासन) कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर ।
14. संयुक्त निदेशक, अकादमी, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर ।
15. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बासकृपालनगर जिला अलवर, राजस्थान।
16. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर को विभागीय अपलोड किये जाने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

दीपाली भार्गव

(डॉ. दीपाली भार्गव)
संयुक्त निदेशक, आयोजना,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।